आखिरी जांच: 10 अक्टूबर 2026 · Department of Agriculture, Himachal Pradesh

Rajya Krishi Yantrikaran Programme

हिमाचल प्रदेश सरकार पहाड़ी खेती को आसान बनाने के लिए किसानों को चारा कटर, स्प्रेयर, हल जैसे उपकरण 40 से 50 प्रतिशत सरकारी अनुदान पर देती है।

क्या मिल सकता है

चारा कटर, मक्का शेलर, गेहूं थ्रेशर, स्प्रेयर, ब्रश कटर, टूलकिट, हल, बीज बिन और पानी के टब जैसे उपकरणों पर 40 से 50 प्रतिशत अनुदान मिलता है।

किसके लिए है

हिमाचल प्रदेश के किसान, खासकर पहाड़ी जमीन पर खेती करने वाले जिन्हें कम कीमत पर उपकरण चाहिए।

मुख्य शर्तें

- योजना हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए है और इसका मकसद पहाड़ी खेती में मशीनों का उपयोग बढ़ाना है।
- अनुदान केवल योजना पृष्ठ पर बताए गए उपकरणों पर मिलता है।

आवेदन कैसे करें

1. कृषि विभाग के योजना पृष्ठ पर दिए Click Here to Apply लिंक को खोलें।
2. यह लिंक विभाग के पोर्टल agridbt.hp.gov.in पर ले जाता है, जिसे विभाग की साइट योजनाओं में आवेदन की जगह बताती है।
3. मदद के लिए कृषि निदेशालय, कृषि भवन, शिमला के फोन 0177-2830162 या टोल फ्री 1800-180-1551 पर संपर्क करें।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://agriculture.hp.gov.in/en/our-scheme/state-agricultural-mechanisation/
आधिकारिक आवेदन: https://agridbt.hp.gov.in/
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/himachal-pradesh/hp-rajya-krishi-yantrikaran-programme/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।